न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 13/2021 (फोरलेन)

उनवान

1 श्री प्रदीप सिंह पिता भवानी सिंह पुरावत निवासी सुरास तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री श्याम लाल माली पिता मोडा माली निवासी धुलखेडा तहसील भीलवाडा।
2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 6—ए—1, आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा।
3. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति अधिकारी), अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

अपील अंतर्गत धारा—3जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध अवार्ड क्रमांक भूमि अवाप्ती/प्रतिकर/200/2018 दिनांक 15.03.2019

उपस्थित —

1 अधिवक्ता प्रार्थी— रामेश्वर लाल विजयवर्गीय, महेश चन्द्र विश्नोई।

2. अधिवक्ता अप्रार्थी — हरीश चन्द्र शर्मा, श्री विनोद कुमार शर्मा,।

निर्णय

दिनांक : 24—06—2025

1— प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3—जी—5 एनएच एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 से एक आवासीय भूखण्ड 22 बापी पट्टा 32 पत्रावली क्रमांक 140/2039 दिनांक 07.11.1985 को दिनांक 10/10/2017 को नपती 15 फीट बाई 40 फीट कुल 600 वर्गफीट राजस्व ग्राम धूलखेडा ग्राम पंचायत मालोला पंचायत समिति सुवाणा से खरीदा, तब से ही इस भूखण्ड पर अपीलार्थी का आधिपत्य स्वामी की हैसियत से चला आ रहा है। जाकिर खां पिता हसन खां जाति पठान निवासी धूलखेडा को उक्त भूखण्ड बापी पट्टा द्वारा ग्राम पंचायत मालोला ने पट्टा संख्या 32 द्वारा बापी पट्टे पर दिनांक 07/11/1985 को नपती 50 फीट बाई 40 फीट का दिया, उक्त भूखण्ड श्री श्यामलाल माली विपक्षी क्रम 1 ने जाकिर खां से जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 17/06/2014 से खरीद कर आधिपत्य में लिया तथा विपक्षी क्रम 1 से अपीलार्थी ने जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 11/10/2017 को उक्त भूखण्ड में से 15 फीट बाई 40 फीट कुल 600 वर्गफीट भूखण्ड जिसके पडौस निम्न है पूर्व भूखण्ड संख्या 22 का शेष भाग, पश्चिम पंचायती आबादी, उत्तर बाईपास रोड (राष्ट्रीय राजामार्ग) व दक्षिण मनसुख खां जी का प्लॉट, उक्त पडौसान के मध्य स्थित भूखण्ड अपीलार्थी के स्वामित्य एवं आधिपत्य में दिनाक 11/10/2017 से ही चला आ रहा है।

2— उक्त आवासीय भूखण्ड को राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त कर लिया गया गया है। जिसका अवार्ड क्रमांक भूमि अवाप्ती/प्रतिकर/प्रकरण संख्या/200/2018 दिनांक 15/03/2019 को श्यामलाल माली विपक्षी क्रम 1 के पक्ष में जारी कर दिया गया। विपक्षी संख्या 01 ने उक्त भूखण्ड को अपीलार्थी को दिनांक

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा